सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु,

सिद्धार्थनगर–272202 उ0प्र0(भारत)

Website :www.suksn.edu.in,Email Id: registrar@suksn.edu.in

अधिसूचना

एतद्द्वारा समस्त सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि माननीया कुलाधिपति महोदया के पत्र संख्या–ई–1704/जी0एस0 दिनांक 23 मार्च, 2022 द्वारा उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों के द्वारा परीक्षा सम्पन्न कराये जाने हेतु विभिन्न महाविद्यालयों को दी जाने वाली अग्रिम धनराशि के समायोजन के प्रकरण पर गठित समिति की संस्तुतियों को तत्काल प्रभाव से लागू किये जाने के निर्देशों को आगामी परीक्षा हेतु क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में माननीय कुलपति जी द्वारा गठित समिति की संस्तुति को माननीय कुलपति जी द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया, जो निम्नवत् है –

1– विश्वविद्यालय द्वारा शासनादेश संख्या–176/सत्तर–1–2019–15(32)/81 दिनांक 09 मार्च, 2019 उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित दर के अनुसार ही परीक्षा के आयोजन हेतु परीक्षा केन्द्रों को धनराशि का भुगतान किया जाय।

2– विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा हेतु विभिन्न महाविद्यालयों को उनके यहां स्थापित परीक्षा केन्द्र पर आवंटित परीक्षार्थियों की संख्या और प्रति परीक्षा के लिए निर्धारित दर रू0 15.00 के आधार पर गणना करके केन्द्र व्यय हेतु सकल राशि परीक्षा आरम्भ होने से पूर्व एक मुश्त दे दी जाय। यह धनराशि अग्रिम के रूप में नहीं होगी और न ही इसका समायोजन अपेक्षित होगा वरन परीक्षा उपरान्त इसका उपभोग प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया जायेगा।

3– केन्द्र अध्यक्ष/सहायक केन्द्र अध्यक्ष तथा कक्ष निरीक्षक के पारिश्रमिक का भुगतान इनकी वास्तविक उपस्थिति के आधार पर किया जायेगा। इसके लिए केन्द्र अध्यक्ष का यह दायित्व होगा कि वह दिन–प्रतिदिन के आधार पर इनकी उपस्थित आनलाइन व्यवस्था के अन्तर्गत विश्वविद्यालय को प्रेषित करेंगे साथ ही इनका बैंक विवरण खाता संख्या, बैंक का नाम तथा शाखा और बैंक शाखा का आई0एफ0एस0सी0 कोड तथा पैन नम्बर भी विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायेगें। परीक्षा सम्पन्न कराने के उपरान्त विश्वविद्यालय को इसके सभी परीक्षा केन्द्रों से प्राप्त होने वाली इस प्रकार की सूचना का संकलन करके प्रत्येक केन्द्र अध्यक्ष/सहायक केन्द्र अध्यक्ष तथा कक्ष निरीक्षक को देय पारिश्रमिक की गणना की जायेगी और इस प्रकार गणना के आधार पर आगणित धनराशि सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित केन्द्र अध्यक्ष/सहायक केन्द्र अध्यक्ष तथा कक्ष निरीक्षक के बैंक खाते में आर0टी0जी0एस0 या आनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से सीधे भेज दी जायेगी।

4– महाविद्यालयों को परीक्षा व्यय हेतु कान्टीजेन्सी मद में रू0 35/– प्रति छात्र प्रत्येक परीक्षा हेतु धनराशि प्रदान किये जाने हेतु आगामी परीक्षा समिति/वित्त समिति एवं कार्यपरिषद से स्वीकृति/अनुमोदन के पश्चात् लागू किया जायेगा।

(राकेश कुमार)
परीक्षा नियंत्रक

पत्रांक–3458/प0सा0/सि0वि0वि0/2022 दिनांक 13–06–2022

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या, सम्बद्ध सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
2. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
3. वित्त अधिकारी/कुलसचिव, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
4. सहायक कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय), सिद्धार्थ वि0वि0 क0, सिद्धार्थनगर।
5. समस्त प्रभारी/विभागाध्यक्ष, सिद्धार्थ वि0वि0 कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
6. डॉ0 अविनाश प्रताप सिंह, मीडिया प्रभारी/जनसम्पर्क अधिकारी, सि0वि0वि0क0,सि0
7. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं सम्बन्धित महाविद्यालयों के कालेज लॉगिन पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

परीक्षा नियंत्रक